पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

13-12 [signature]

(123)

माननीय न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल म0प्र0

= =

पुनर्स्थापन - 6479/2018/भोपाल/भू.रा. प्रकरण क्रमांक:- निग0/4462/2018/भोपाल

मानोबाई पत्नि श्री मुन्नालाल
निवासी ग्राम लाऊखेडी तहसील हुजूर
जिला भोपाल म0प्र0 - आवेदक

वि0

प्रदीप दुबे
निवासी पंचवटी एअरपोर्ट रोड भोपाल - - - - - - - - - - - - - अनावेदक

श्री आ0वा 496 आवेदक द्वारा 13-12-18 को 5639 13-12

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-35(3) म0प्र0भू0रा0संहिता 1959

आवेदिका की ओर से निम्न निवेदन है कि :-

(1) यह कि आवेदिका का एक प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था जिसमें आज दिनांक 13-12-2018 को पेशी नियत थी ।

(2) यह कि माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदिका आज दिनांक 12.30 को उपस्थित हो गई थी तथा आवेदिका के अधिवक्ता आज भोपाल से बाहर होने के कारण वह उक्त प्रकरण में उपस्थित नहीं हो सके और आवेदिका उक्त संबंध में जब उपस्थित हुई तो उसे ज्ञात हुआ कि उसका प्रकरण आज दिनांक 13-12-18 को निरस्त कर दिया गया है।

(3) यह कि आवेदिका उक्त प्रकरण को पुनः नम्बर पर स्थापित कराना चाहती है तथा उक्त प्रकरण में आवेदिका की कोई भी गलती नहीं है।

(4) यह कि उक्त प्रकरण को पुनः नम्बर पर स्थापित करने के लिए जो भी नियम होंगे उनका आवेदिका पूर्णरूप से पालन करेगी ।

अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि उक्त प्रकरण को पुनः नम्बर पर स्थापित कर उसकी सुनवाई किए जाने का आदेश प्रदान करें जो कि न्यायहित में उचित होगा।

भोपाल
दिनांक: 13/12/2018

मानोबाई यादव

आवेदिका

[signature]

श्रीमती मानोबाई

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

6

आदेश पृष्ठ
भाग अ

राजस्व मंडल का प्रकरण क्रमांक: ....पुर्नस्थापन -6479/2018/भोपाल/भू-रा.....

तहसील: ....

जिला: ....भोपाल....

पुर्न/पुनर्विलोकन में राजस्व मंडल का प्रकरण : ....

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक: ....

कलेक्टर के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक: ....

अनुविभागीय पदाधिकारी का प्रकरण क्रमांक : ....

तहसील का प्रकरण क्रमांक: ....

यदि कोई अन्य न्यायालय हो तो : ....निगरानी/4462/2018/भोपाल/भूरा,....

वाद का विषय: ....पुर्नस्थापन ....

अधिनियम एवं धारा जिसके अंतर्गत प्रकरण यहाँ प्रस्तुत हुआ है : .....म.प्र.भू.रा.संहिता......

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला....भोपाल.... । ....के मूल/अपीलीय आदेश दिनांक : ...13/12/2018... के विरूद्ध ...मानोबाई...।...प्रदीप दुबे..।...... के अभिभाषक द्वारा पुर्नस्थापन - पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है । प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांक ......है। जिसकी सूचना आपको एस.एम.एस. से दी जा चुकी है।	
31-1-2019	आवेदक की ओर से आवेदक का पुत्र श्री रवि यादव उप.। उन्हें रेस्टोरेशन पर सुना। विचारोपरांत रेस्टोरेशन आवेदन स्वीकार किया जाता है। मूल प्रकरण क्रमांक R-4462/2018/भोपाल/भूरा पुनः नम्बर पर लिया है। यह प्रकरण समाप्त किया जाता है। अध्यक्ष	
		प्रस्तुतकार